<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री पुष्पा पालीफैब प्राइवेट लिमिटेड, 59 / 132 ए, शॉप नम्बर-जी-15, पुरानी दाल मण्डी, नयागंज, कानपुर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**050 / 13, 10.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री हरि ओम गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री पुष्पा पालीफैब प्राइवेट लिमिटेड, 59 / 132 ए, शॉप नम्बर-जी-15, पुरानी दाल मण्डी, नयागंज, कानपुर द्वारा दिनांक 10.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा Warp Knit fabric पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री हरि ओम गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि Warp Knit fabric का प्रयोग पान की खेती, बागवानी आदि में होता है । मुख्यत: कृषि कार्य में प्रयोग होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-I में करमुक्त होना चाहिए । यह भी कहा गया कि अन्यथा स्थिति में यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-119 पर अंकित-Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics के अन्तर्गत 4% की दर से अथवा क्रमांक-90 पर अंकित-, HDPE / PP fabrics के अन्तर्गत 4% की दर से करयोग्य होना चाहिए ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-2160, दिनांक 07.11.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि Warp Knit fabric पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-119 जिसमें Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics हैं, के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा Warp Knit fabric की बिक्री पर कर की देयता पूछी गयी है । Warp knitted fabric लूप इन्टरलॉक की विधि से तैयार किये जाते हैं । knitted fabric वस्तुत: woven या Non-woven fabrics से पूर्णत: भिन्न होते हैं । इस सन्दर्भ में Wikipedia पर दी गयी परिभाषा निम्न भाँति है :-

Knitted fabrics are the third major class fabric, after woven and nonwoven fabrics.

अत: यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-119 के अन्तर्गत नहीं आते हैं । क्योंकि इनमें Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics की ही प्रविष्टि है जो knitted fabric से पूर्णत: भिन्न है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-90 पर packing materials की प्रविष्टि है इसमें भी HDPE / PP woven strips एवं fabrics अंकित है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मैटेरियल न तो पैकिंग मैटेरियल है और न ही woven fabrics है ।

.......2

अत: इस प्रविष्टि में भी यह सम्मिलित नहीं है। जहॉ तक प्रार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि सन्दर्भित वस्तु कृषि कार्य में प्रयोग होती है, इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-I के क्रमांक-01 की प्रविष्टि में सभी कृषि कार्य की वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं। इसमें Agricultural implements अंकित है जिसमें किसी प्रकार के fabrics का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मैटेरियल Warp Knit fabric पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-I, II, III एवं IV में सम्मिलित न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-30 / 2009 में आदेश दिनांक 02.06.2009 के अन्तर्गत शेड नेट पर 12.5% की दर से अवर्गीकृत की भॉति करदेयता निर्धारित की गयी है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या, विधि-व्यवस्था का परिशीलन एवं प्रस्तुत sample का अवलोकन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत Warp Knit fabric उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-I, II, III एवं IV में सम्मिलित नहीं है। इन अनुसूचियों में woven या Non-woven fabrics ही अंकित है, Knitted fabrics इनमें सम्मिलित नहीं है अत: Warp Knit fabric पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

ह0 / 11.12.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।